बाल अधिकार एवं व्यापार सिद्धान्त

बाल अधिकार संरक्षण सतत् भविष्य की अधिकल्पना हेतु निवेश है। सभी बच्चे मानवाधिकार के दायरे में भी आते है। इन अधिकारों का संरक्षण हमें सशक्त व शिक्षित समुदाय तैयार करने में मदद करता है जो कि एक स्थिर, सम्मिलित एवं उत्पादक व्यापार के वातावरण निर्माण हेतु आवश्यक है।

एक व्यापार जो बच्चों का सम्मान करता है, सहयोग करता है, बच्चों एवं समुदाय के विकास पर केन्द्रित होकर कार्य करता है तो सही मायनों में लाभ अर्जित करेगा। बच्चों के लिए सकारात्मकम सोच व्यापार को सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह सोच व्यापार में कार्यरत मानवीय श्रम का उत्साहवर्धन करता है। उदाहरणार्थ :- व्यापार अपने कार्मिकों को बेहतर माता पिता बनने में सहयोग कर, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर, आने वाली पीढ़ी को कौशल प्रदान कर समृद्धता की ओर अग्रसर हो सकता है।

बाल अधिकार एवं व्यापार सिद्धान्तों के अंतर्गत ऊन सभी गतिविधियों की पहचान करनी होगी जो व्यापार में बच्चों के अधिकार के सम्मान से जुड़ी है। इस माध्यम से हम व्यापार का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए उनके मानवाधिकार को सुरक्षित कर पायेंगे। ऐसा पहचाना गया है कि व्यापार में सकारात्मक ताकत है एवं विभिन्न व्यापार भी इस प्रकार की गतिविधि करने को इच्छुक है। ये सिद्धान्त दुनिया के व्यापारिक समुदाय से आग्रह करते हैं कि वे बाल अधिकारों के संरक्षण पर पड़ने वाले प्रभावों को जाने एवं बाल-अधिकारों के संरक्षण हेतु सारग्रभित प्रयास करें।

व्यापार के लिए गतिविधियां

सभी व्यापारों के लिए 10 सिद्धान्तों के अनुरूप गतिविधियों की पहचान की गई है। जिससे व्यापार में बच्चों का सम्मान बढ़े एवं बाल विकास में सहयोग मिले।

सिद्धान्त 1 - तीन मुख्य गतिविधियां जिनके द्वारा व्यापार, बाल अधिकारों का सम्मान कर सकता है - **नीतिगत प्रतिबद्धता, यथोचित परिश्रम एवं उपचार**। यहां व्यापार से यह भी अपेक्षा है कि वे बाल अधिकारों की रक्षा से परे बाल अधिकारों को प्रोत्साहन में भी सहयोग प्रदान करेंगे। सभी गतिविधियां बाल अधिकार के मूलभूत 4 सिद्धान्तों ; उत्तरजीविता एवं विकास, सर्वश्रेष्ठ रूचि की चिन्ता, सहभागिता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान व्यवहार जहां जाति, लिंग, दिव्यांगता की परवाह ना की जावे।

बाल अधिकार व व्यापार सिद्धान्त का निर्माण व्यापार प्रतिनिधियों, बाल अधिकार विशेषज्ञों, स्वेच्छिक संगठनों, सरकारी प्रतिनिधियों, सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ एवं युनाइटेडनेशन ग्लोबल काम्पेक्ट द्वारा इस आशा के साथ किया गया है ताकि यह दस्तावेज व्यापार को बच्चों के साथ बात-चीत करने की प्रेरणा देते हुए दिशा प्रदान करे।

अरावली व एस.एफ.एन.एस. द्वारा दस्तावेज को हिन्दी भाषा में अनुवाद किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा हितभागी बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध हो सके।

शेष 9 सिद्धान्त व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनके कार्यों व गतिविधियों का सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर व्यापारिक कार्यक्षेत्र, बाजार, समुदाय एवं वातावरण में महसूस हो।

कार्यवाही हेतु सिद्धांतों का वर्गीकृत चित्रण

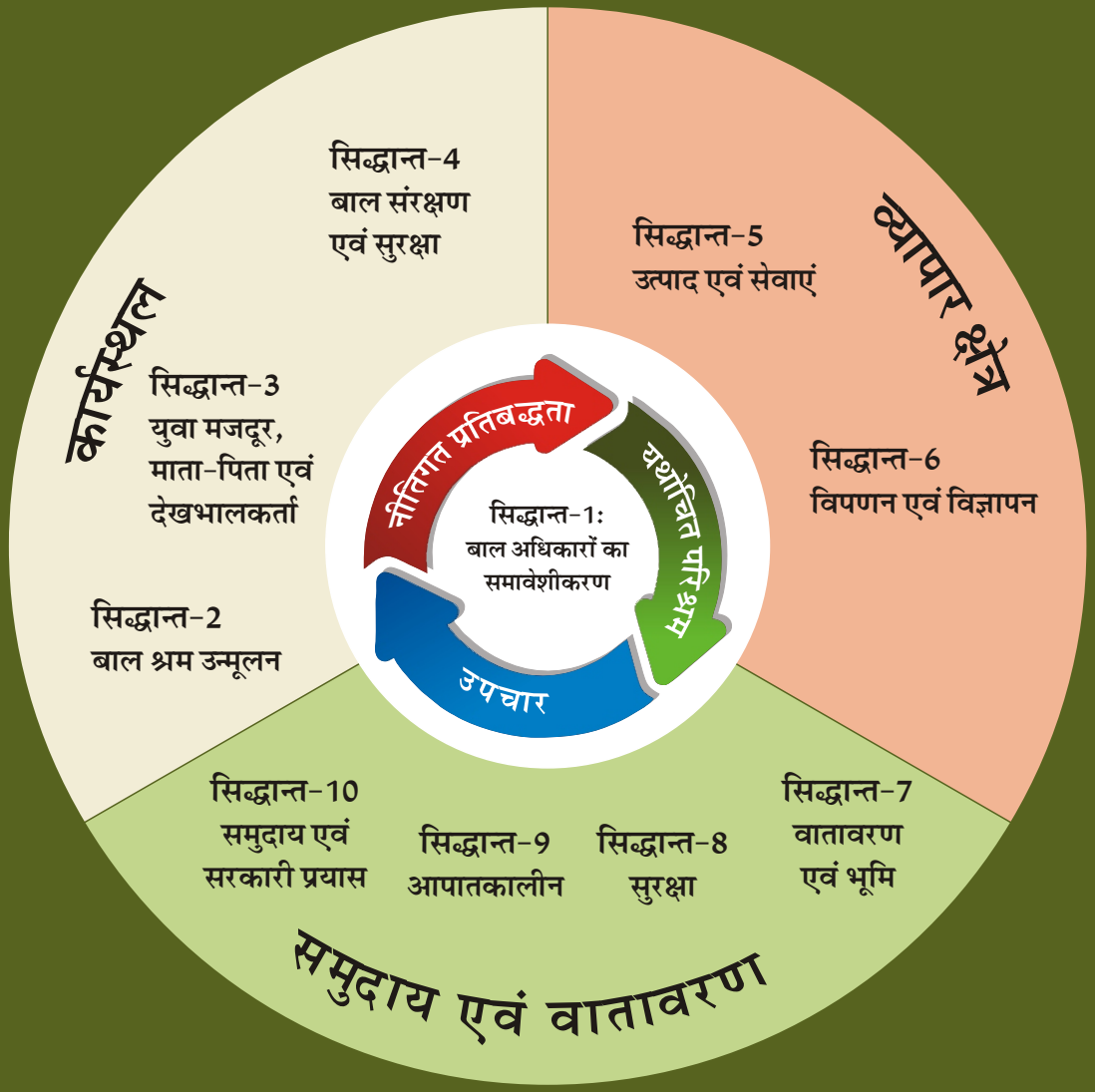

1. बाल अधिकारों का सम्मान करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें एवं बालकों के मानवाधिकारों के समर्थन हेतु प्रतिबद्ध हो।
2. बाल श्रम उन्मूलन में योगदान, सभी व्यापारिक गतिविधियों एवं संबंधों में।
3. गरिमामय कार्य परिस्थितियां सभी युवा मजदूर, माता-पिता एवं देखभालकर्ता हेतु।
4. बाल संरक्षण एवं सुरक्षा सभी व्यापारिक गतिविधियों एवं सुविधाओं में।
5. उत्पाद व सेवाएं सुरक्षित हो एवं बाल अधिकारों के संरक्षण को प्रोत्साहित करती हो।
6. विपणन व विज्ञापन प्रक्रियाएं बाल अधिकारों का सहयोग एवं सम्मान करती हो।
7. वातावरण एवं भूमि अधिग्रहण एवं उपयोग के दौरान बाल अधिकारों का संरक्षण
8. सुरक्षा व्यवस्था बाल अधिकारों का सम्मान एवं संरक्षण करती हो।
9. आपातकालीन में प्रभावित बच्चों को सहयोग एवं संरक्षण मिले।
10. सामुदायिक व सरकारी प्रयासों को सुदृढ़ता मिले ताकि बाल अधिकारों का संरक्षण हो।